

राजस्थान प्री-इंजिनियरिंग टेस्ट (आरपीईटी)-2012
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, W-6 रेजिडेंसी रोड़, जोधपुर
भूतपूर्व सैनिक, विकलांग तथा कश्मीरी विस्थापितों के लिये
काउन्सलिंग की सूचना

आरपीईटी-2012 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित (EX-S), विकलांग (PH) तथा कश्मीरी विस्थापित (KM) श्रेणी के अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी के समस्त मूल प्रमाण पत्रों तथा निर्धारित शुल्क के साथ काउन्सलिंग के लिये व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। काउन्सलिंग प्रक्रिया निम्न समय सारिणी अनुसार **राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, रेजिडेंसी रोड़, जोधपुर** में की जायेगी:-

क्र. सं.	श्रेणी	श्रेणी में मेरिट संख्या	दिनांक / समय
(1)	भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित		
(i)	EX-S1 (शहीद) Killed in action	1 से 34	06.07.2012 प्रातः 9.00 बजे से
(ii)	EX-S2 Disabled in action and boarded out from service / Died while in service with death attributable to military service / Disabled in service and boarded out with disability attributable to military service	1 से 9	06.07.2012 प्रातः 11.00 बजे से
(iii)	EX-S3 Gallantry Award winner	1 से 16	06.07.2012 मध्याह्नः 12.00 बजे से
(iv)	EX-S4 Ex-Serviceman (भूतपूर्व सैनिक)	1 से 100	06.07.2012 मध्याह्नः 2.00 बजे से
(v)	EX-S4 Ex-Serviceman (भूतपूर्व सैनिक)	101 से 757	09.07.2012 प्रातः 9.00 बजे से
(2)	विकलांग (PH)	1 से 132	07.07.2012 प्रातः 9.00 बजे से
(3)	कश्मीरी विस्थापित (KM)	1 से 145	07.07.2012 मध्याह्नः 2.00 बजे से

उपरोक्त श्रेणियों में भूतपूर्व सैनिकों की कुल 81 सीटें, विकलांग के लिये 81 सीटें तथा कश्मीरी विस्थापितों के लिए नियमानुसार आरक्षित सीटों के लिये काउन्सलिंग होगी। चूंकी श्रेणीवार स्थान सीमित हैं, अतः संदर्भित श्रेणी में स्थान समाप्त होते ही उस श्रेणी की काउन्सलिंग समाप्त कर दी जायेगी। **साक्षात्कार के समय संबंधित श्रेणी का मूल प्रमाण-पत्र, दसवीं उत्तीर्ण मूल अंक तालिका, 12 वीं उत्तीर्ण की मूल अंकतालिका, राजस्थान का मूल निवास का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक मूल डिसचार्ज प्रमाण पत्र, मूल पी.पी.ओ. एवं भूतपूर्व सैनिकों के अन्य सभी संबंधित मूल प्रमाण पत्र साथ लाना होगा**, इसके अभाव में उसे कोई भी सीट का आवंटन नहीं किया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। इंजिनियरिंग में राज्य से अनुदानित सीटों (GAS) के लिये 30,000 + 5000 = 35,000 रुपये तथा स्ववित्त पोषित (SFS) सीटों के लिये 55000 + 7500 = 62,500 रुपये फीस लानी होगी। मूल प्रमाण पत्रों व फीस के अभाव में अथवा अभ्यर्थी के अनुपस्थित होने की स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। **प्रत्येक दिन काउन्सलिंग के पश्चात् रिक्त आरक्षित सीटों की स्थिति वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। EX-S4 अभ्यर्थी जिन्हें दिनांक 09.07.2012 को आना है वो सीटों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ही उपस्थित होंगे।**

उक्त सूचना मण्डल की वेबसाइट <http://techedu.rajasthan.gov.in> पर भी उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजे जा रहे हैं, अतः अभ्यर्थी को वेबसाइट से इन श्रेणियों में अपनी मेरिट देखकर उपरोक्त समय सारणी के अनुसार उपस्थित होना है। जिन अभ्यर्थियों ने ऑप्शन फार्म के साथ 10,000/- का चालान जमा कराया है, प्रवेश होने पर ही उनसे निर्धारित फीस में से 10,000/- राशि कम ली जायेगी। चालान की सत्यापित प्रतिलिपि साक्ष्य के रूप में लावे। जो अभ्यर्थी इस काउन्सलिंग में उपस्थित नहीं होते हैं अथवा इस काउन्सलिंग में उपस्थित होने पर चाही गई सीट आवंटित नहीं होती है उन्हें सामान्य काउन्सलिंग में शामिल किया जायेगा तथा मेरिट अनुक्रम अनुसार उनकी श्रेणी में उनके द्वारा भरे गये ऑप्शन फार्म अनुसार सीट आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

समन्वयक

राजस्थान प्री-इंजिनियरिंग टेस्ट (आरपीईटी)-2012
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, W-6 रेजिडेन्सी रोड़, जोधपुर
भूतपूर्व सैनिक, विकलांग तथा कश्मीरी विस्थापितों के लिये
काउन्सलिंग की सूचना

आरपीईटी-2012 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित (EX-S), विकलांग (PH) तथा कश्मीरी विस्थापित (KM) श्रेणी के अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी के समस्त मूल प्रमाण पत्रों तथा निर्धारित शुल्क के साथ काउन्सलिंग के लिये व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। काउन्सलिंग प्रक्रिया निम्न समय सारिणी अनुसार राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, रेजिडेंसी रोड़, जोधपुर में की जायेगी:-

क्र. सं.	श्रेणी	श्रेणी में मेरिट संख्या	दिनांक / समय
(1)	भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित		
(i)	EX-S1 (शहीद) Killed in action	1 से 34	06.07.2012 प्रातः 9.00 बजे से
(ii)	EX-S2 Disabled in action and boarded out from service / Died while in service with death attributable to military service / Disabled in service and boarded out with disability attributable to military service	1 से 9	06.07.2012 प्रातः 11.00 बजे से
(iii)	EX-S3 Gallantry Award winner	1 से 16	06.07.2012 मध्याह्न: 12.00 बजे से
(iv)	EX-S4 Ex-Serviceman (भूतपूर्व सैनिक)	1 से 100	06.07.2012 मध्याह्न: 2.00 बजे से
(v)	EX-S4 Ex-Serviceman (भूतपूर्व सैनिक)	101 से 757	09.07.2012 प्रातः 9.00 बजे से
(2)	विकलांग (PH)	1 से 132	07.07.2012 प्रातः 9.00 बजे से
(3)	कश्मीरी विस्थापित (KM)	1 से 145	07.07.2012 मध्याह्न: 2.00 बजे से

उपरोक्त श्रेणियों में भूतपूर्व सैनिकों की कुल 81 सीटों, विकलांग के लिये 81 सीटों तथा कश्मीरी विस्थापितों के लिए नियमानुसार आरक्षित सीटों के लिये काउन्सलिंग होगी। चूंकी श्रेणीवार स्थान सीमित हैं, अतः संदर्भित श्रेणी में स्थान समाप्त होते ही उस श्रेणी की काउन्सलिंग समाप्त कर दी जायेगी। **साक्षात्कार के समय संबंधित श्रेणी का मूल प्रमाण-पत्र, दसवीं उत्तीर्ण मूल अंक तालिका, 12 वीं उत्तीर्ण की मूल अंकतालिका, राजस्थान का मूल निवास का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक मूल डिसचार्ज प्रमाण पत्र, मूल पी.पी.ओ. एवं भूतपूर्व सैनिकों के अन्य सभी संबंधित मूल प्रमाण पत्र साथ लाना होगा**, इसके अभाव में उसे कोई भी सीट का आवंटन नहीं किया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। इंजिनियरिंग में राज्य से अनुदानित सीटों (GAS) के लिये 30,000 + 5000 = 35,000 रुपये तथा स्ववित्त पोषित (SFS) सीटों के लिये 55000 + 7500 = 62,500 रुपये फीस लानी होगी। मूल प्रमाण पत्रों व फीस के अभाव में अथवा अभ्यर्थी के अनुपस्थित होने की स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। **प्रत्येक दिन काउन्सलिंग के पश्चात् रिक्त आरक्षित सीटों की स्थिति वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। EX-S4 अभ्यर्थी जिन्हें दिनांक 09.07.2012 को आना है वो सीटों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ही उपस्थित होंगे।**

उक्त सूचना मण्डल की वेबसाइट <http://techedu.rajasthan.gov.in> पर भी उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजे जा रहे हैं, अतः अभ्यर्थी को वेबसाइट से इन श्रेणियों में अपनी मेरिट देखकर उपरोक्त समय सारणी के अनुसार उपस्थित होना है। जिन अभ्यर्थियों ने ऑप्शन फार्म के साथ 10,000/- का चालान जमा कराया है, प्रवेश होने पर ही उनसे निर्धारित फीस में से 10,000/- राशि कम ली जायेगी। चालान की सत्यापित प्रतिलिपि साक्ष्य के रूप में लावें। जो अभ्यर्थी इस काउन्सलिंग में उपस्थित नहीं होते हैं अथवा इस काउन्सलिंग में उपस्थित होने पर चाही गई सीट आवंटित नहीं होती हैं उन्हें सामान्य काउन्सलिंग में शामिल किया जायेगा तथा मेरिट अनुक्रम अनुसार उनकी श्रेणी में उनके द्वारा भरे गये ऑप्शन फार्म अनुसार सीट आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

समन्वयक